न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म0प्र0)

(105)

प्रकरण कमांक 19/अ–19(3)/2019–20

केन्द्रीय विद्यालय आगर मालवा के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन बाबत् ।

(1)

:: आदेश ::

(दिनांक 12 सितम्बर 2019 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री बी.एस.चौधरी, अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के पत्र फा.1140111/430/2019–केविस (मु0) कार्य/168 दिनांक 05.04.2019 में उल्लेख किया कि आगर मालवा जिले में नया केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में 8 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नाम 99 वर्ष के लिए लीज पर अथवा स्थायी अनुदान पर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है ।

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा के प्रकरण कमांक 8/अ–59/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27 मई 2016 से ग्राम पुरा उर्फ साहबनगर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 20/1 रकबा 17.51 हेक्टेयर मद चरनोई में से रकबा 3.20 हेक्टेयर (8 एकड़) भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु आरक्षित की गयी है ।

2– तहसीलदार आगर से जांच करवायी गयी । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विज्ञप्ति जारी की गयी । नियत समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । ग्राम पुरा उर्फ साहबनगर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 20/1 मिन–3 रकबा 3.200 (8 एकड़) हेक्टेयर भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन जिला आगर मालवा को 99 वर्ष की लीज पर अथवा स्थायी अनुदान पर दी जाने के संबंध में शासन नियमानुसार नाम मात्र की प्रीमियम 1/– रूपये पर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आगर–बड़ौद को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आगर–बड़ौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया ।

3– उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक–एफ 56–3/2019/20–3 दिनांक 27.08.2019 से आपके प्रस्ताव के अनुकम में ग्राम पुरा उर्फ साहबनगर तहसील आगर जिला आगर मालवा म.प्र. की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 20/1/मिन–3 में से रकबा 3.200 हेक्टेयर (8 एकड़) भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवंटित किये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रदान की जाती है ।

4– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से प्राप्त अनुशंसा एवं तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आगर–बड़ौद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के तहत **ग्राम पुरा उर्फ साहबनगर तहसील आगर की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 20/1/मिन–3 रकबा 3.200 हेक्टेयर नोईयत शासकीय को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को जिला आगर मालवा म.प्र. में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु** प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 6–130/2014/2009/सात/नजूल भोपाल दिनांक 18.02.2015 अनुसार बिना प्रब्याजि एवं नाममात्र रूपये 1/– वार्षिक भू–भाटक पर उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार कमांक 1 की कंडिका 36 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :–

(1) विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी

(2) विभाग को 06 (छः) माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना होगा ।

(3) विभाग को भूमि का उपयोग केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण संबंधी गतिविधि प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय/ Kendriya Vidyalaya
आगर–मालवा/ Agar-Malwa